

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2013/आषाढ़ 25, 1935

No. 355]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2013/ASADHA 25, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 488(अ).—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिकता नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) नियम, 2013 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. नागरिकता नियम, 2009 के नियम 19 में,-

(क) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) धारा 6क की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन व्यक्ति द्वारा उस जिले के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतः निवासी है, विदेशी अधिकरण के ऐसे व्यक्ति को विदेशी घोषित करने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 18 में किया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी कारण लेखबद्ध करके उक्त अवधि को साठ दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि तक बढ़ा सकेगा जो प्रत्येक मामले में न्यायोचित हो ।”

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ (2क) कोई व्यक्ति, जिसे विदेशी अधिकरण द्वारा 16 जुलाई, 2013 से पूर्व विदेशी के रूप में घोषित कर दिया गया है और जिसे विदेशी अधिकरण का आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण या विलंब के कारण ऐसे व्यक्ति को विदेशी के रूप में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा इंकार करने के कारण धारा 6क की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, विदेशी अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उस जिले के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतः निवासी है, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 18 में आवेदन कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी कारण लेखबद्ध करके उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि तक बढ़ा सकेगा जो प्रत्येक मामले में न्यायोचित हो ।”

(ग) उप-नियम (5) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 26011/01/ 2013-आई सी-आई]

वी.वुमलुनमंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2013

G.S.R. 488(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship Rules, 2009, namely

- (1) These rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules, 2013;
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Citizenship Rules, 2009, in Rule 19, -

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted; namely:-

“(2) An application for registration under sub-section (3) of section 6A shall be made in Form XVIII, by the person to the registering authority for the district in which such person is ordinarily a resident within a period of thirty days from the date of receipt of order of the Foreigners Tribunal declaring such person as a foreigner;

“Provided that the registering authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period to such further period as may be justified in each case but not exceeding sixty days”.

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2A) A person who has been declared as a foreigner by the Foreigners Tribunal prior to 16th July, 2013 and has not been registered under sub-section (3) of Section 6A for the reason of non-receipt of order of the Foreigners Tribunal or refusal by the registering authority to register such person as a foreigner on account of delay may, within a period of thirty days from the date of receipt of the order passed by the Foreigners Tribunal, or, from the date of publication of this notification, make an application for registration in Form XVIII to the registering authority of the district in which such person is ordinarily a resident:

Provided that the registering authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period to such further period as may be justified in each case but not exceeding one hundred eighty days”.

(c) sub-rule (5) shall be omitted.

[F.No. 26011/01/2013-IC-I]

V. VUMLUNMANG, Jt. Secy.